

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून ।  
मैनुअल – आठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(viii),

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं,  
जिनका उसके विवरण भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया  
गया है कि क्या उस बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली  
होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

वर्तमान में आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कोई बोर्ड, परिषद, समिति अथवा निकाय गठित नहीं है।

.....